भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश:

दिनांक 26.04.2020 तक प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं है परन्तु यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इस जिला के साथ लगते अन्य जिलों व राज्यों से आवागमन करने वाले व्यक्तियों एवं कर्मचारियों जो कि परोक्ष रूप से इस वायरस से संक्रमण आ सकता है तथा जनस्वास्थ्य के प्रतिकूल है।

अतः भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत मैं यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिलाधीश रेवाड़ी इस जिला में साथ लगते जिले व राज्यों से प्रतिदिन आवागमन करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं आम व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाता हूं।

समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूं तथा यह जनसामान्य को सम्बोधित हैं। यह आदेश दिनांक 03.05.2020 तक प्रभावी होंगे।

इस आदेश का जिला रेवाड़ी में ढोल बजवाकर, जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचहरी, उपमण्डल कचहरी, तहसील कचहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा करके तथा District Website पर अपलोड करके प्रचार किया जाए ।

उपरोक्त आदेशों की आवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 27.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

District Magistrate Rewari

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
जिलाधीश, रेवाड़ी।

पृ०कमांक 7885-7985/विविध शाखा

दिनांक 27-04-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।

Scanned with CamScanner

3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पंचकूला।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा पंचकूला।
5. आयुक्त, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम एवं कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना एवं समनव्य और निगरानी अधिकारी।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी।
7. सभी जिलाधीश, हरियाणा राज्य।
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साउथ रेन्ज, रेवाड़ी।
9. पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी/बावल/कोसली।
12. सिविल सर्जन, रेवाड़ी।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रेवाड़ी एवं जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।
14. सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी जिला रेवाड़ी।
15. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रेवाड़ी/ सचिव, नगर पालिका, धारूहेड़ा/बावल।
16. जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले नियंत्रक, रेवाड़ी।
17. जिला प्रबन्धक, हेफड, रेवाड़ी तथा हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, रेवाड़ी।
18. सचिव, मार्केट कमेटी, रेवाड़ी तथा कोसली।
19. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, रेवाड़ी।
20. सम्बन्धित डयूटी मजिस्ट्रेट, जिला रेवाड़ी।

District Magistrate Rewari

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
जिलाधीश, रेवाड़ी।

Scanned with CamScanner